बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....

संख्या–08/आ०–05–11/2023...../जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक 50 दिनांक 28.01.2023 द्वारा श्रीमती अंजू चौधरी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जगदीशपुर (पश्चिमी), भोजपुर–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध प्रायः मुख्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित रहने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने, प्रशासनिक एवं विभागीय कार्यों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने, शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार करने एवं जाँच के नाम पर तथा अन्य मामलों में शिक्षकों का शोषण करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 147 दिनांक–23.02.2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 17(4) के तहत श्रीमती चौधरी से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गई। तदालोक में श्रीमती चौधरी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्रीमती चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 332 दिनांक 25.04.2024 एवं पत्रांक 902 दिनांक 16.10.2024 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर से मन्तव्य प्रतिवेदन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक 562 दिनांक 04.12.2024 द्वारा मन्तव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उक्त मन्तव्य प्रतिवेदन में श्रीमती चौधरी के विरूद्ध सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रमाणित प्रतिवेदित आरोपों पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 516 दिनांक 27.05.2025 एवं पत्रांक 468 दिनांक 08.04.2026 द्वारा श्रीमती चौधरी से बिहार पेंशन नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के तहत बचाव पक्ष समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त के अनुपालन में श्रीमती चौधरी द्वारा अपना पक्ष से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

श्रीमती चौधरी के विरूद्ध प्राप्त आरोप, प्राप्त बचाव अभिकथन एवं तदालोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर से प्राप्त मन्तव्य प्रतिवेदन एवं समर्पित बचाव प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

आरोप के बिन्दु प्रायः मुख्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित रहने के संबंध में श्रीमती चौधरी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने दिनांक 07.01.2023 से 21.01.2023 तक निर्धारित कार्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। प्रतिदिन 2 पंचायतों का अनुश्रवण प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी, जगदीशपुर के व्हाट्सएप पर पर्यवेक्षक/प्रगणक के फोटो के साथ भेजा तथा लिखित प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया, जिसे निदेशालय को दिनांक 31.03.2023 को उपलब्ध करा दिया गया। दिनांक–04.01.2023 को अत्यधिक ठंड एवं बुखार के कारण श्रीमती चौधरी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जगदीशपुर से दूरभाष पर वार्त्ता के बाद अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर के गोपनीय कर्मी के व्हाट्सऐप पर छुट्टी का आवेदन भेजकर जिला

शिक्षा पदाधिकारी के व्हाट्सऐप पर भी उक्त आवेदन को भेजा था। तकनीकी खराबी के कारण वह आवेदन जा नहीं सका। उनके अनुसार वे बुखार एवं कमजोरी के कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से इस बात की पुष्टि नहीं कर सकी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान, भोजपुर द्वारा परीक्षा संबंधी कार्य के बारे में दूरभाष पर वार्त्ता की गई, जिसका प्रतिवेदन उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर को उपलब्ध करा कर अपने आवास, आरा चली गई क्योंकि उनके दोनों घुटना का प्रत्यारोपण हुआ था तथा वे बिना कमोड के नित्य क्रिया नहीं कर पाती थी तथा उक्त सुविधा कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी। वैश्विक महामारी में वे अंशतः कोविड–19 से ग्रसित होते हुए भी नियमित रूप से कार्य कर रही थी। उनके अनुसार अपने सभी संकुल समन्वयकों को प्रतिनियुक्त कर विभिन्न बाजारों/स्थानों पर उक्त कार्य का सफल संचालन कर रही थी, जिसका फोटो भी प्रखंड एवं अनुमंडल के द्वारा बनाए गए व्हाट्सऐप ग्रुप में भिजवा रही थी।

उक्त आरोप पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का मंतव्य है कि श्रीमती अंजू चौधरी द्वारा प्रायः प्रखण्ड मुख्यालय से अनुपस्थित रहना, सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी जातीय–आधारित गणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में रूचि नहीं रखना एवं सरकार द्वारा निर्धारित कार्य ससमय नहीं किया जाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य का आरोप अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर द्वारा लगाया गया, जो श्रीमती चौधरी के कार्य–कलाप से प्रमाणित होता है।

आरोप के बिन्दु उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए प्रशासनिक एवं विभागीय कार्यों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के संबंध में श्रीमती चौधरी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, जगदीशपुर द्वारा दिनांक–04.01.2023 को दूरभाष पर बैठक के संबंध में वार्त्ता की गई, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया है कि उन्हें ठण्ड लग जाने के कारण बुखार आ गया था। उनके द्वारा अंकित किया गया है कि उनके द्वारा कभी भी उनसे कार्यों में असहयोग जैसी बात नहीं कही गई। वे अपने घुटनों के प्रत्यारोपण के कारण चिकित्सा अवकाश में गई थी, जिसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर को दी गई थी तथा चिकित्सा अवकाश से लौटने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर कार्यालय में योगदान कर नियमित रूप से कार्य कर रही हैं। दिनांक–03.09.2022 को, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक–21.09.2022 को आयोजित होने वाली 67वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा–2022 हेतु प्रखंड अंतर्गत निर्धारित केंद्रों को स्थलीय निरीक्षण का प्रतिवेदन ससमय अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर को पत्रांक–348 दिनांक–02.09.2022 के द्वारा उपलब्ध कराया गया। 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के आयोजन में वे दिनांक–28.09.2022 को कार्यालय में उपस्थित रहकर परीक्षा संबंधी कार्यों का निष्पादन कर रही थी। केंद्राधीक्षक, संत जेवियर विद्यालय, जगदीशपुर को वीक्षण कार्य हेतु वीक्षक पत्रांक–429 दिनांक–28.09.2022 के द्वारा उपलब्ध कराये गये। नगर पंचायत निर्वाचन 2022 अंतर्गत जगदीशपुर नगर पंचायत में दिनांक–18.12.2022 को पूर्वा० 7:00 बजे से अप० 5:00 बजे तक मतदान निर्धारित था। अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर के आदेशानुसार वे नियंत्रण कक्ष में थी तथा उनके सारे शिक्षक भी नियंत्रण कक्ष में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे परंतु ट्रैफिक जाम के कारण वे थोड़ा विलंब से पहुंची जिसकी सूचना पूर्व में ही दूरभाष

के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर को दी गई थी तथा वे कभी बिना पूर्व अनुमति के या अवकाश के कार्यालय में अनुपस्थित नहीं रहती हैं।

उक्त आरोप पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का मंतव्य है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जगदीशपुर, भोजपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्रीमती चौधरी कभी–भी प्रखण्ड मुख्यालय की बैठक में उपस्थित नहीं होती थी एवं सरकारी कार्य में इनका सहयोग न के बराबर रहता था, जिसके कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बार–बार कार्यशैली सुधारने एवं मुख्यालय में बने रहने का आदेश देने के बावजूद भी इनका सुधार नहीं किया गया, जिसके कारण कार्यालय पत्रांक 50 (को०) दिनांक 28.01.2023 का मुख्यालय को प्रतिवेदित किया गया है।

आरोप के बिन्दु शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार करने एवं जाँच के नाम पर तथा अन्य विद्यालयीय मामलों में शिक्षकों का शोषण करने के संबंध में श्रीमती अंजू चौधरी ने अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर ने अपने पत्रांक–92/गो० दिनांक–12.01.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा शिक्षकों से अभद्र व्यवहार एवं जांच के नाम पर विद्यालय के शिक्षकों द्वारा उनके ड्राइवर के द्वारा शोषण किया जाता है, जबकि उनके अनुसार उनका कोई स्थाई ड्राइवर नहीं है। वे दैनिक मजदूरी देकर ड्राइवर को रखती हैं तथा दो–चार दिनों पर ये बदलते रहते हैं। उनके ऊपर प्रखंड अंतर्गत ढाई साल के कार्यकाल में ऐसी शिकायत कभी भी किसी पदाधिकारी/उच्च अधिकारी के पास नहीं है। श्रीमती अंजू चौधरी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इसकी पुष्टि उनके शिक्षकों से की जा सकती है।

उक्त आरोप पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का मंतव्य है कि श्रीमती चौधरी के विरूद्ध आरोप संख्या–03 में लगाये गये आरोप भी प्रमाणित है, क्योंकि श्रीमती चौधरी द्वारा चिकित्सीय इलाज का बहाना कर अपने कार्य यथा परीक्षा संबंधित कार्य में भी लापरवाही बरतने का प्रमाण है। यह भी आरोप प्रमाणित है। इस प्रकार श्रीमती चौधरी द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण में लगाये गये आरोपों का खण्डन की है, जो उचित नहीं है। श्रीमती चौधरी पर प्रमाणित आरोपों के आधार पर ही प्रपत्र 'क' गठित किया गया है।

उक्त के समीक्षोपरान्त स्पष्ट होता है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा नियमित रूप से मुख्यालय में रहकर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन समुचित रूप से नहीं किया गया है, जो कि लगाए गए आरोप से स्पष्ट होता है। इनके द्वारा जो बचाव अभिकथन दिया गया है कि छुट्टी का आवेदन तकनीकी खराबी के कारण नहीं जा सका, ट्रैफिक जाम के कारण विलम्ब से पहुँचना, दोनों घुटनों का प्रत्यारोपण होने के कारण आवश्यक कार्य हेतु आवास जाना आदि स्वीकार योग्य नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भी मंतव्य प्रतिवेदित है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा बार–बार निदेश दिए जाने के वाबजूद भी कार्यशैली में सुधार नहीं किया गया, जिसके कारण प्रमाणित आरोपों के आधार पर आरोप पत्र प्रतिवेदित किया गया।

उक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि श्रीमती चौधरी द्वारा सरकारी कार्यों में उदासीनता, अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई है।

अतः समीक्षोपरांत श्रीमती अंजू चौधरी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जगदीशपुर (पश्चिमी), भोजपुर–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (ख) के तहत "दो वर्ष के लिए 05% (पाँच प्रतिशत) पेंशन कटौती" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। उक्त दण्ड की प्रविष्टि श्रीमती चौधरी की सेवा पुस्त में की जायेगी।

इसके साथ ही मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह०/–
(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–08/आ०–05–11/2023........732 पटना, दिनांक–29.05.2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–17/जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), भोजपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती अंजू चौधरी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जगदीशपुर (पश्चिमी), भोजपुर–सम्प्रति–सेवानिवृत्त, आवासीय पता–मोहल्ला–पल्लवी नर्सिंग होम, पोस्टमार्टम रोड़, थाना+जिला–नवादा, पिन–805110 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे संबंधित को ई–मेल करना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।